(6)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT CHAMPAWAT- (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Champawat district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. S.N.Pandey, I.A.S District Magistrate, Champawat, Uttarakhand, on dated 22-12-18 at time 10:00am at Champawat in which application claiming rights in Jindi Soradi, Nidil, Malla Khaikot villages in Lohaghat tehsil, area measuring 5.54 ha. for the construction of Chamdeval to Nidil M/R under PMGSY in Champawat of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Lohaghat tehsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Champawat

Dated:...22-12-18

(S.N. Pandey) I.A.S
District Magistrate-cum-chairman, District Level Committee, Champawat

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
जिलाधिकारी
चम्पावत

7

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Champawat

No---

Dated 22-12-18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

Name of Motor road:- Construction of Chamdeval to Nidil M/R under PMGSY.

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 5.54 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department & I.D., P.W.D, PMGSY Champawat. for Chamdeval to Nidil M/R (purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction Jindi Soradi, Nidil, Malla Khaikot village(s) in Lohaghat tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.54 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
जिलाधिकारी
चम्पावत

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल – निडिल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.540 हे0 वन भूमि हस्तानान्तरण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक-22.12.2018 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित हुए।

क्र0सं0	अधिकारी / सदस्यों के नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सुरेन्द्र नारायण पाण्डे	जिलाधिकारी, चम्पावत	
2	श्री के० एस० बिष्ट	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग चम्पावत	प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
3	श्री डी० डी० आर्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत
4	श्री उपशंकर भट्ट	जिला पंचायत सदस्य, धूरा	सदस्य जिला पंचायत धूरा
5	श्रीमती मीना देवी	जिला पंचायत सदस्य, जनकाण्डे	मीना देवी सदस्य जि० पं० क्षे० जनकाण्डे जिला-चम्पावत
6	श्रीमती भवानी टम्टा	जिला पंचायत सदस्य, फरतोला	भवानी टम्टा भवानी टम्टा सदस्य जिला पंचायत फरतोला

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 11.125 कि0मी0**

कार्यालय उप जिलाधिकारी चम्पावत
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 11.125 कि0मी0 (आरक्षित वन भूमि — हे0 सिविल सोयम भूमि 5.54 हे0, वन पंचायत भूमि — हे0, अर्थात कुल 5.54 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग,लोक निर्माण विभाग,चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत) की दिनांक 06/09/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 कि अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आर.सी. गौतम उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री आर.सी. गौतम , उपजिलाधिकारी ~~चम्पावत~~ लोहाघाट – अध्यक्ष
2– श्री [illegible] सिंह , उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट – सदस्य
3– श्री एस.डी. भट्ट समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत – सदस्य/सचिव
4– श्री लाल सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र बिविल – सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि

''जनपद चम्पावत में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना हेतु 5.54 हे0 वन भूमि सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग चम्पावत, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषांसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वनधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानो को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(11)

बैठक में सर्वसम्मिति से उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 5.54 हे0 वन भूमि सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।

07/09/18

उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत

प्रतिलिपिः—जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील...
जनपद...

(B.D.C)
लाल सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत विविल-2
वि0ख0–लोहाघाट (चम्पावत)

नहीं CMT

(12)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :–जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई–11.125 कि0मी0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– खाईकोट
तहसील चम्पावत, जिला चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.54 हे0 सिविल सोयम भूमि , वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 5.54 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,चम्पावत/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खाईकोट मल्ला द्वारा दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खाईकोट मल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग (सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
खाईकोट

ह0/– [signature]
ग्राम प्रधान/सरपंच
वन पंचायत मल्ला खाइकोट
वि0ख0– लोहाघाट (चम्पावत)
(किशन राम)
प्रधान
ग्राम पंचायत मल्ला खाईकोट
वि0ख0– लोहाघाट (चम्पावत)

जगदीश सिंह —	जगदीश सिंह
खिम सिंह —	खिम सिंह
रघुवीर सिंह —	लक्ष्मण सिंह
बसन्ती देवी —	बसन्ती देवी
कल्याण सिंह —	कल्याण सिंह

प्रपत्र–30.2

दिनांक 16.07.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खाईकोट मल्ला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	फकीर सिंह S/O कुँवर सिंह	फकीर सिंह
2	मोहन सिंह S/O श्याम सिंह	मोहन सिंह
3	मदन सिंह S/O त्रिलोक सिंह	मदन सिंह
4-	सोन सिंह S/O जैन सिंह	सोन सिंह
5-	नारायण राम S/O शेर राम	नारायण राम
6-	~~किशन सिंह S/O देव सिंह~~ जैन सिंह S/O मान सिंह	जैन सिंह
7	किशन सिंह S/O देव सिंह	किशन सिंह
8-	शंकर सिंह S/O गुमान सिंह	शंकर सिंह
	जगत सिंह S/O गुमान सिंह	जगत सिंह
9-	होशियार सिंह S/O रूप सिंह	होशियार सिंह
	डिकर सिंह S/O कल्याण सिंह	डिकर सिंह
10	मिलाप सिंह S/O बच्ची सिंह	मिलाप सिंह
	प्रेम सिंह S/O देव सिंह	प्रेम सिंह
11-	प्रहलाद सिंह S/O गुमान सिंह	प्रहलाद सिंह
12	रूप सिंह S/O पान सिंह	रूप सिंह
13	चन्द्र सिंह S/O पान सिंह	चन्द्र सिंह
14	खुशाल सिंह S/O पान सिंह	खुशाल सिंह
15	कुंवर सिंह S/O फतेह सिंह	कुंवर सिंह
16	केदार सिंह S/O रूप सिंह	केदार सिंह
17	कुन्दन सिंह S/O चन्द्र सिंह कार्की	~~चन्द्र सिंह~~ कुन्दन सिंह

(14)

प्रपत्र–30.2

दिनांक 16.07.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खायकोट मल्ला।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
18	मदन सिंह S/o गुमान सिंह	मदनसिंह
19	खुशाल सिंह S/o इयात सिंह	खुशाल सिंह
20	नारायण सिंह S/o बची सिंह	नारायण सिंह
21	शोबन सिंह S/o बची सिंह	शोबन सिंह
22	प्रहलाद सिंह S/o शेर सिंह	प्रहलाद सिंह
23	कुँवर सिंह S/o शेर सिंह	कुँवर सिंह
24	मोहन सिंह S/o गुमान सिंह	मोहन सिंह
25	इयात सिंह S/o देव सिंह कार्की	इयातसिंह
26	जय राम S/o धरम राम	जयराम
27	मदन राम S/o त्रिलोक राम	मदन राम
28	दिवान राम S/o लछी राम	दिवान राम
29	श्याम राम S/o त्रिलोक राम	श्याम राम
30	होशियार राम S/o रमेश राम	होशियार राम
31	रमेश राम S/o तेज राम	रमेश राम
32	गणेश राम S/o रमेश राम	गणेश राम
33	रुद्र राम S/o जगत राम	रुद्र राम
37	ओम सिंह S/o रुद्र सिंह	ओम सिंह
38	शोबन सिंह " जोत सिंह	Shoban Singh
39	नाथ सिंह " जोत सिंह	नाथ सिंह
40	खुशाल सिंह " उत्तम सिंह	खुशाल सिंह

(15)

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :—जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई—11.125 कि0मी0।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम— निडिल
तहसील चम्पावत, जिला चम्पावत

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.54 हे0 सिविल सोयम भूमि , वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 5.54 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,चम्पावत/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत निडिल द्वारा दिनांक 17.07.2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम निडिल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग (सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/— निडिल
ग्राम सचिव

मनी देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत निडिल
ह0/— वि0ख0 लोहाघाट (चम्पावत)
ग्राम प्रधान/सरपंच

नर सिंह — नरसिंह
कौप्ट सिंह — कौप्ट सिंह
गोपाल सिंह — Gopal singh
जोगा सिंह — जोगा सिंह
लक्ष्मण सिंह — लक्ष्मण सिंह

सरपंच
वन पंचायत निडिल
वि0ख0-लोहाघाट (चम्पावत)

प्रपत्र–30.2

दिनांक 17·07·18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत निड्डिल ।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
	जोगा सिंह	जोगा सिंह
	गोपाल सिंह	Gopal Singh
	पूरन सिंह	पूरन सिंह
	प्रकाश सिंह	प्रकाश सिंह
	रूपक सिंह	रूपक सिंह
	भवान सिंह	भवान सिंह
	मुन्ना सिंह	Munna Singh
	नर सिंह	नर सिंह
	बोध सिंह	बोध सिंह
	कैलाश सिंह	कैलाश सिंह
	शंकर सिंह	शंकर सिंह
	डिगर सिंह	डिगर सिंह
	दिवान सिंह	Diwan Singh
	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
	कमल सिंह	कमल सिंह
	विरेन्द्र सिंह	विरेन्द्र सिंह
	कैलाश सिंह	कैलाश सिंह
	भूवन सिंह	भूवन सिंह

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :–जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई–11.125 कि0मी0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– जिन्डीसुराड़
तहसील चम्पावत, जिला चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (– हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.54 हे0 सिविल सोयम भूमि , वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,चम्पावत/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जिन्डीसुराड़ द्वारा दिनांक 17.07.2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जिन्डीसुराड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग (सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Pushpa Devi
(पुष्पा देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत बसकुनी
वि0ख0– लोहाघाट (चम्पावत)
ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.....बसकुनी.....
वि0ख0–लोहाघाट जिला–चम्पावत

मोहन चंद
गोपाल चन्द
गुमान राम
निर्मला देवी
बची देवी

मोहन चन्द
गणेश चन्द
गुमान राम
निर्मला देवी
बची देवी

ग्राम पंचायत जिन्डी... सरपंच

प्रपत्र–30.2

दिनांक 17.07.2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जिन्दी सुराड़ ।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
	देवी चन्द	देवी चन्द
	प्रेम चन्द	प्रेम चन्द
	शुकदेव चन्द	शुकदेव चन्द
	चन्द्र चन्द	चन्द्र चन्द
	गोपाल चन्द	गोपाल चन्द
	पुष्कर चन्द	पुष्कर चन्द
	प्रेम चन्द	प्रेम चन्द
	दिवान चन्द	दिवान चन्द
	तारा चन्द	तारा चन्द
	रघुवर चन्द	रघुवर चन्द
	त्रिलोक चन्द	त्रिलोक चन्द
	महेश चन्द	महेश चन्द
	गुड्डु चन्द	गुड्डु चन्द
	मान चन्द	मान चन्द
	वीर चन्द	वीर चन्द
	कमल चन्द	कमल चन्द

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चमदेवल – निडिल नामक मोटर मार्ग से लाभान्वित राजस्व ग्राम खाईकोट तल्ला, ग्राम पंचायत खाईकोट मल्ला का ही एक तोक है।

ग्राम विकास अधिकारी,
क्षेत्र – खाईकोट मल्ला
विकास खण्ड, लोहाघाट।
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षे० वि०ख०–लोहाघाट जिला–चम्पावत

प्रतिहस्ताक्षर

खण्ड विकास अधिकारी,
लोहाघाट।
B. D. O. Lohaghat